JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

संविधान के विभिन्न अधिनियमों में स्त्रियों के पक्ष में ऐतिहासिक संषोधन एक विवेचना

डॉ. गरिमा उपाध्याय,

प्राध्यापक राजनीति विज्ञान

शास. हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल

''वो शोख है चंचल है, हिरणों सी तेजी उसमें और किरणों सी है चपलता, खुद बाती बनकर रही है रोषन दूसरो का दीया, मासूम मुस्कान भी है और बुलन्द इरादों की चट्टान भी, हौसलों की धरा है वो, उम्मीदों का आसमान भी वो।''

संक्षेपिका

भारतीय संस्कृति सत्यम षिवम सुन्दरम के आदर्ष से अनुप्राणित है। किसी भी सभ्यता की विषिष्ठता, उसकी सीमा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस राष्ट्र की नारियों को जानना नितान्त आवष्यक है। सभ्यता के प्रारम्भ से ही नारी इतिहास के पृष्ठों पर नक्षत्र की भांति टिमटिमाती रही है, जिसकी धूमिलता व प्रखरता अत्यप्रक्षरूपेण उस सभ्यता की षिथिलता व गतिषीलता की ओर संकेत करती है। मातृसत्तात्मक समाज से पितृसत्तात्मक व्यवस्था नारी के उत्कर्ष व अपकर्ष की वह बोलती कथा है जो सदियों से इतिहास को झकझोरती रही है। जिसके आवरण में मानव सभ्यता का अर्द्धाषं अनवरत् शोषण से उत्पीड़ित होकर अपना मुँह छुपाएँ खड़ा है, वास्तव में नारी की कथा किसी सभ्यता की कथा है जिसे अपक्षेति कर देने से उस सभ्यता का सही मूल्यांकन संभव नहीं। आदिकाल से ही नारी सामाजिक संरचना के पुरूष के समकक्ष अभिन्न अंग रही है। सांस्कृतिक वातावरण पारिवारिक संरचना जाति वर्ग तथा स्वामित्व संबंधी अधिकारों आदि के कारण नारी की स्थिति में विभिन्न उतार चढ़ाव होते रहे हैं। जहां एक ओर भारतीय विद्वान ''यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'' का दृष्टान्त देकर नारी को उच्च पद पर आसीन करते हैं वही ''स्त्रीक चरित्र अइसन दुर्लक्ष्य दारूण'' कहने में भी तनिक संकोच नहीं किया। नारी को भले ही दैवी रूप में चित्रित किया हो और हमारे प्राचीन ग्रंथों, टीकाओं, वेद–पुराणों व उपनिषादों में सीता, द्रोपती, गार्गी, मैत्रेयी, सावित्री जैसी विदूषी नारियों का उल्लेख मिलता हो किन्तु नारी को समाज में हर व्यवस्थाओं में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त भर्त्सना, अत्याचार व अपमान का दंष झेलना पड़ता है। संत

प्रचारकों की दृष्टि में नारी त्याज्य व पाप का कारण रही है जातक कथाओं में कहा गया है कि ''समुद्र सम्राट, ब्राहम्ण व ''नारी'' सनातन से बुभुक्षित रहे हैं इनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं।''

ज्ञमल ॅवतके – सनातन, संषोधन, टीकाओं अधिकार, उतराधिकार।

प्रस्तावना

मानव जीवन के सर्वतोन्मुखी विकास में नारी की अहम् भूमिका रही है उसने वृहरूपेण समाज का चतुर्दिक विकास किया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् नारियों के एक नवयुग का प्रारम्भ हुआ है। प्रजातांत्रिक संविधान ने सदियों पुरानी दासता व असमानता की स्थिति से नारियों को मुक्ति प्रदान की व पुरूष व नारी के समान स्तर का नारा बुलन्द किया। भारत विष्व के उन चुनिंदा राष्ट्रो में आता है जहॉ पुरूषों की संख्या नारियों की संख्या (2001 की जनगणना) 1000 पर 946 है समय–समय पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों (1975 के मैक्सिको प्दजमतदंजपवदंस ूवउमदष् लमंत बवदमितबम ंदक 1980 कोपनहेगन ूवतक बवदमितबम) नारी विषयक गोष्ठियों सम्मेलनों शोधो के कारण भारत में भी नारियों के हित में उनकी सुरक्षा भरण–पोषण पहचान अधिकार व सम्मान के लिए कानूनों ने संषोधन व परिवर्तन भी किया जा रहा है। वर्तमान में महिलाओं के अधिकार व समानता इतने अधिक ज्वलन्त विषय हे कि भारत सरकार को भी पूर्व में उनके हित में बनाए गये कानूनों में सुधार या संषोधन की आवष्यतकता अनुभव हो रही है ताकि कोई बिन्दु या कोई ऐसे तत्व ना छूट जाए जिसके कारण नारियों की स्थिति कमजोर हो जाए इसलिए भारतीय संविधान, न्यायालय व विधि निर्माण करने वाली संस्थाओं में सन् 2000 के पश्चात् अनेक संषोधन किये जिससे नारियों को वही स्थान प्राप्त हो सके जो उन्हें वैदिककाल में प्राप्त था वो निम्नानुसार है–

1. हिन्दू उतराधिकार नियम 1956 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों का अधिकार नहीं माना जाता था, जिसके कारण नारियों को दहेज जैसी कुप्रथा का षिकार होना पड़ता था अतः नारियों के कल्याण व कुप्रथा पर अंकुष लगाने के उद्देष्य से 2005 में इस कानून में संषोधन कर पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों के अधिकार को स्वीकार किया गया अर्थात् पुत्र एवं पुत्री सम्पत्ति में समान।
2. अगस्त 2011 में दिल्ली न्यायालय द्वारा नारियों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि पति से अलग रहने वाली (विवाहविच्छेद) कामकाजी नारियाँ भी अपने पति से भरण पोषण भत्ते की मांग कर सकती है पूर्व के अधिनियम या पारित कानूनों के अनुसार स्वयं कार्यरत होने के कारण महिलाऍ इस तरह की मांग करने के अधिकार से वंचित थी।
3. घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार भारत में निवासित हर नारी को (इसमें मॉ, बहन, पत्नि, रिष्तेदार, मेड कुक या आया जैसी नारियों को सम्मिलित किया गया) शारीरिक मानसिक आर्थिक, मौखिक, भावनात्मक एवं यौन अत्याचार से मुक्ति प्रदान की गई है।
4. लिव इन रिलेषनषिप का वर्तमान में एक चलन सा हो गया है ऐसे में समस्या तब उत्पन्न होती है जब इतने वर्षों तक किसी पुरूष के साथ रहने पर भी स्त्री को पत्नी के रूप में मिलने वाले

अधिकारों से वंचित किया जाता है, इसलिए सन् 2010 में उच्चतम न्यायालय द्वारा ''चुनमुनिया बनाम वीरेन्द्र कुमार सिंह कुषवाहा'' मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि ''लिव इन रिलेषन रिलेषनषिप'' में रहने वाली समस्त भारतीय नारियों को वह सारी सुविधाएँ व अधिकार प्रदान किये जाए तो किसी भी महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत प्रदान किये हैं।

5. नारियों को पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह विवाह के उपरांत भी अपना पूर्व का उपनाम (सरनेम) रख सकती है, समस्या तब उत्पन्न होती है कि विवाह के उपरांत उन्हें अपना उपनाम बदलना पड़ता है और उनका बहुत सारा समय इस कार्य में लग जाता है। उन्हें बैंक खाते, पासपोर्ट, मकान के कागजात, राषनकार्ड, वोटर कार्ड यहां तक कि हस्ताक्षर भी बदलने पड़ते हैं अतः इस समस्या के निदान व नारियों को अपनी पहचान को कायम रखने हेतु पूणे के पासपोर्ट कार्यालय व विधि मंत्रालय द्वारा यह अधिकार महिलाओं को प्रदान किया गया कि वह विवाह विच्छेद होने ना होने की स्थिति में भी अपना उपनाम जिसमें उनको सुगमता हो रख सकती है।
6. सी.आर.सी.पी. की धारा 125 के अन्तर्गत पत्नी से भरण पोषण के अधिकार की मांग कर सकती है। पूर्व में इस धारा के अनुसार मॉ पत्नि व बच्चों को प्रति माह अधिकतम 1500रू प्रति व्यक्ति भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार था किन्तु बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए 2007 में इसमें संषोधन कर राषि बंधन को समाप्त कर प्रत्येक व्यक्ति आय क्षमता के अनुसार भरण पोषण प्राप्त करने का प्रावधान प्राप्त कर दिया गया।
7. वर्ष 2010 में ससंद द्वारा निजी व्यक्तिगत कानून संषोधन बिल पारित किया गया। इस अधिनियम को पारित करने के लिए ''गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890 एवं हिन्दू एडाप्षन एण्ड मेन्टेनेन्स अधिनियम 1956 में संषोधन कर कानूनी रूप में एक मॉ को संतान (चाहे वह गोद ली गई क्यों ना हो) पर पिता समान अधिकार दिया गया। यह अधिनियम उन नारियों पर भी लागू है जो विवाह विच्छेद की प्रक्रिया में हैं व संतान को गोद लेना चाहती है। अर्थात् अविवाहित तलाष शुदा व विधता सभी स्त्रियों को इस संषोधन के कारण यह अधिकार प्राप्त हुआ है।
8. वर्ष 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकार को आदेषित किया कि सेना में भी स्त्रियों को ''स्थायी कमीषन'' दिया जावे। यह निर्णय सैन्य सेवा में कार्यरत व अवकाष प्राप्त लगभग 60 महिला अधिकारियों की याचिका पर लिया गया।
9. वर्ष 2009 में सी.आर.सी.पी. संषोधन अधिनियम पारित किया गया। उसमें किसी भी आपराधिक मामले में जैसे बलात्कार या हत्या से संबंधित मामलों में प्रारम्भ से ही पीड़िता को बिना किसी गिरफ्तारी या कनविक्षन के ही मुआवजा दिलाया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के साथ मिलकर पीड़िता या उसके आश्रितों को इस क्षति हेतु मुआवजा देगी।
10. विदेष में निवासित भारतीय वर दहेज के लालच में भारत में विवाह करते हैं व कुछ दिनों पश्चात उन्हें यही छोड़कर विदेष चले जाते हैं। उन्हें ''हॉलिडे हसबेन्ड'' कहा जाता है। इसके लिए राष्ट्रीय

महिला आयोग द्वारा एन.आर.आई. सेल की स्थापना सन् 2009 में की गई ताकि इस तरह के मामलों की षिकायतें यहॉ की जा सके व लगभग 570 लोगों को पासपोर्ट एक्ट के सेक्षन 10(3) के अनुसार कारण बताओं नोटिस दिया गया।

11. सरकारी कार्यालयों में कार्यरत् स्त्रियों के लिए 2008 में मातृत्य अवकाष की समयावधि 135 दिनों से बढ़ाकार 180 दिन कर दी गई साथ ही दो वर्ष तक की ''चाइल्ड केयर'' का वैतनिक अवकाष भी प्रदान किया गया जो कि बच्चों के 18 वर्ष के होने तक कभी भी लिया जा सकता है।
12. हिन्दू विवाह अधिनियम 1995 के अनुसार विवाह हेतु वर व वधु दोनों का 18 वर्ष का उससे अधिक होना आवष्यक है। इसका उल्लघंन करने वालों को 1000/– की राषि व 15 दिवसों का साधारण दण्ड दिया जा सकता है। किन्तु नाबालिक का जीवन बर्बाद करने के लिए यह दण्ड बहुत ही कम है अतः 2007 में इस कानून (अधिनियम) में संषोधन कर नाबालिग से विवाह करने का दण्ड सख्त कर दिया गया अर्थात 2 वर्ष का कारावास व 1 लाख रूपये का जुर्माना दोनों ही साथ भोगना पड़ेगा।
13. 2007 में बाल विवाह कानून में भी एक विषेष परिवर्तन किया गया। यदि वयस्क होने पर दोनों ही इस विवाह को नहीं मानते तो या विवाह के खंडित होने की स्थिति में लड़के का पिता लड़की को तब तक भरण–पोषण भत्ता देगा जब तक कि उसका पूनर्विवाह नहीं हो जाता। लड़का बालिग व लड़की अवयस्क तो और वह इस विवाह को स्वीकार नहीं करती तो उसके विवाह तक लड़की की समस्त जवाबदारी लड़के को स्वीकार करनी पड़ेगी। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार तलाक मामलों की अपील 30 दिनों के अन्दर करनी पड़ती है, अपील के लिए राषि वकील व ड्राफ्ट आदि बनवाने में 30 दिन का समय भी कम पड़ जाता है। अतः 2003 में हिन्दू विवाह अधिनियम में संषोधन किया गया व अब यह अपील की सीमा 30 से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई।
14. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार यदि महिला अपने पति के विरूद्ध मुकदमा दायर करना चाहती है तो उसे उस शहर में मुकदमा दायर करना पड़ता है जहाँ उसका विवाह हुआ था या यहाँ आखिरी बार दोनों साथ रहे। इसके कारण महिलाओं को काफी मुष्किलों का सामना करना पड़ता है व कभी–कभी वह इस उलझन से बचने के लिए अपने अधिकारों की तिलांजलि तक दे देती है, अतः इस कानून में 2003 में संषोधन किया गया कि वह स्त्री जहाँ फिलहाल निवास कर रही है वही से मुकदमा दायर कर सकती है। इस संषोधन से महिलाओं को अन्याचार के विरूद्ध लड़ने की हिम्मत जागृत हुई है।
15. जब दो धर्मों के लोग आपस में विवाह करते हैं तो उन पर विषेष विवाह कानून 1954 लागू होता है किन्तु 2001 में इस अधिनियम की धारा 38 में संषोधन कर कहा गया कि यदि कोई महिला अपने बच्चों के भरण पोषण व षिक्षा के लिए मुकदमा दायर करती है तो इसका निर्णय विपक्षी को

सूचना मिलने के 60 दिनों के अन्दर किया जायेगा व यदि न्यायलय विपक्षी पर जुर्माना लगाती तो इस आदेष के विरूद्ध अपील कही भी की नहीं जा सकती है।

16. भारतीय तलाक कानून 1869 में ईसाई स्त्रियों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के आधार पर स्त्री व पुरूषों की अलग–अलग शर्ते थी। जिसके कारण प्रायः स्त्रियों के साथ अत्याचार हो ही जाता था। अतः इस भेदभाव को दूर करने के लिए 2001 में भारतीय तलाक अधिनियम ने संषोधन कर दोनों के लिए समान आधार निष्चित किये गये। वास्तव में स्त्री पुरूष की इस खाई को पाटने ने इस संषोधन ने बड़ा योगदान दिया।
17. मुस्लिम पसर्नल कानून के तहत पति अपनी इच्छा से जब चाहे पत्नी को तलाक दे सकता था व तलाक के इद्दत की अवधि में उसे भरण पोषण भत्ता देना पड़ता था। किन्तु मुस्लिम महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज बुलन्द की (षाहबानो प्रकरण) व लड़ाई में विजय प्राप्त की किइद्दत के पश्चात भी आजीवन उसे भरण पोषण भत्ता मिलता रहेगा।
18. उच्चतम न्यायालय ने 1997 में प्रथम ही इस बात को मान्यता प्रदान की है कि कार्यस्थल पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार मानवीय अधिकारों का उल्लघन है। विषाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कुछ गाइड लाइन जारी की कि ''संस्थान'' में कार्यरत् सभी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनकी सुविधा का ध्यान रखना, षिकायत समिति का गठन करना व जागरूकता फैलाना यह सब संस्थान प्रमुख की जिम्मेदारी है।
19. 2004 के बाल यौन शोषण संषोधन अधिनियम में इसकी कार्यवाही सार्वजनिक स्थान पर करने की जगह बन्द कमरों में की जाए तथा कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि पीड़िता को अत्याचारी का चेहरा देखना भी ना पड़े, न्यायालय की कार्यवाही में पीड़िता से उसी भाषा में प्रष्न उत्तर किये जाए जिसे वह अच्छी तरह समझती हो। वयान देते समय उसे पर्याप्त समय दिया जाए।
20. लॉ कमीषन आफ इंडिया ने 2009 में तेजाब फेकने वाले के विरूद्ध सख्त कानून बनाने की बात की, तेजाब फेककर बदला लेने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष 9–10 लाख जुर्माने की सजा निष्चित की है। यदि तेजाब से कोई हानि नहीं हुई हो तो भी पकड़े जाने पर 5 वर्ष का दण्ड निष्चित है।
21. 2007 में गार्जियन व सीनियार सिटिजन अधिनियम बताकर वृद्ध स्त्रियों की देखभाल की सम्पूर्ण उत्तरादायित्व बच्चों व उत्तराधिकारियों को दिया गया है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति के ना होने पर सरकार को इसकी जिम्मेदारी सौपी गई है।
22. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने पति की संपत्ति में पत्नि के समान अधिकार के लिए विधायिका में विधेयक रखा है। क्योंकि यदि पति पत्नि में मध्य संबंध विच्छेद हो जाते हैं तो पत्नी को मात्र एलीमनी से काम चलाना पड़ता है यदि वह बिल कानून का रूप धारण कर लेता है तो तलाक के पश्चात पत्नी पति की सम्पत्ति में बराबर की भागीदार होगी।

वास्तव में महिलाओं का सषक्तीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, हमें उन सभी सांस्कृतिक, भौतिक परिस्थितियों को बदलना होगा, जो महिलाओं को पुरूषों के स्तर तक लाने में असमर्थ है। वास्तव में व्यक्ति की सोच, पहल व हस्तक्षेप में मूलभूत बदलाव लाने होंगे जिससे ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो कि महिलाएं संविधान में दिये गये अधिकारों का उपयोग कर सके। वर्तमान में नगरों के बजाय गांव की महिलाएं कानूनों के प्रति अधिक जागरूक है गांव में महिलाएं अपना अधिकार चाहती है व उसे पाने हेतु पूर्ण बल के साथ जुटी रहती है किन्तु नगरीय महिलाएं जल्द ही समझौते कर लेती है। हमारे देष में कानून तो बहुत है लेकिन लोगों को उसके संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं है और ना ही इसको सही तरीके से अंजाम दिया जा रहा है जैसे सीनियर सिटिजन एक्ट में काफी सुविधाएं दी गई किन्तु उसके लिए अलग से न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई जैसा की एक्ट में बताया गया है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि अधिनियम काफी पुराने हैं लेकिन यह स्त्री शक्ति ही है उसका साहस है कि उनमें सरकार को पुनः संषोधन कर कानून बनाने की आवष्यकता महसूस हुई यह स्त्री के जीवन में निरंतर आ रहे परिवर्तनों का ही विस्तृत रूप है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. महिला जागृति व सषक्तिकरण, डॉ. सावलिया बिहारी वर्मा अविष्कार पब्लिषस जयपुर(1993) पृ.सं. 70।
2. भारतीय महिलाओं की दषा, सुभाष शर्मा, आधार प्रकाषन, पंचकूला, हरियाणा, पृ.सं. 37, 29।
3. नारी उत्पीड़न एवं जागरूकता, हनुमान प्रसाद गुप्त, कम्पनी इलाहाबाद, पृ.सं. 68।
4. महिला व कानून, उषा लुनिया, राजस्थान पत्रिका प्रकाषन, पृ.सं. 6।
5. महिला सषक्तिकरण प्रेमनारायाण वर्मा, भारत बुक सेन्टर, पृ.सं.
6. भारतीय समाज, के.एल. शर्मा, रावल पब्लिकेषन संरचना एवं परिवर्तन पृ.सं. 16।
7. दैनिक भास्कर, सम्पादकीय, भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन के. एल. शर्मा, रावल पब्लिकेषन दिल्ली, पृ.सं. 48।